मंजु वर्मा बनाम जोगेन्द्र वर्मा दावा मु. नं. – 137/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
29.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत – हांसपुर में आयोजित शिविर दिनांक 26.10.2021 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी महोदय सीकर मीटिंग/कार्यशाला में पधारे हुये है। रीडर उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर	
26.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– हासंपुर में वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 26/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– हासंपुर दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.01 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्प:— हासंपुर, पं.स. श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
137 / 2016	2016 / 091	14.06.2016	28.10.2021

उनवान

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नि लोकेश उम्र—50 वर्ष
2. चन्द्रशेखर पुत्र लोकेश उम्र—27 वर्ष
3. आलोक पुत्र लोकेश उम्र— 25 वर्ष
4. चन्दन पुत्र लोकेश उम्र—23 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नं. 25 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

वादीगण

बनाम

1. लोकेश पुत्र जमनलाल उम्र—55 साल
2. प्रदीप पुत्र जमनलाल उम्र— 52 वर्ष
3. निरजंन पुत्र जमनलाल उम्र— 28 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नं. 25 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

4 हरिनारायण पुत्र जगदीशनारायण उम्र—54 वर्ष

5 औमप्रकाश पुत्र जगदीशनारायण उम्र—52 वर्ष

6 बिमला पत्नि स्वर्गीय गोरीशंकर उम्र— वर्ष

7 नन्दकिशोर पुत्र भूदरमल उम्र— 65 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

8 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.01 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण—

28/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थित–

श्री रामावतार सैनी प्रथम, वादीगण अभिभाषक।
श्री हरदयाल बलौदा, प्रतिवादीगण नं. 4 ता 6 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर –प्रतिवादी नं. 8

दावा बाबत उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–ः निर्णय ः–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1047, 1048, 1049 कुल किता 3 कुल रकबा 3.72 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खातेदारी वादीया नम्बर 1 के पति व वादीगण नम्बर 2 ता 4 के पिता लोकेश के नाम हिस्सा 1/9 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर काबिज खातेदार काश्तकार थे। वादीया नम्बर 1 के पति एंव वादीगण नम्बर 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण के रहते किसी किरण नाम की अन्य महिला से दूसरी शादी कर लेने व अन्य महिला के साथ गृहस्थ जीवन निर्वाह करने पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के बीच इस बाबत विवाद होकर न्यायालय में मुकदमें हो गये। तत्पश्चात् प्रतिवादी नं. 1 व वादीगण के बीच न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीमाधोपुर में लम्बित वाद मंजू वगै0 बनाम लोकेश वगै0 प्रार्थना पत्र 125 सीआरपीसी की रिवीजन में दिनांक 14.10.2011 को लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों के मध्य यह तैय हुआ कि वादीगण के आजीवन निर्वाह भत्ते की एवज में एकमुश्त अदायगी के बदले विवादित भूमि खसरा नम्बर 1047 से 1049 का प्रतिवादी नम्बर 1 लोकेश के नाम का सम्पूर्ण 1/9 हिस्सा के मालिक वादीगण नम्बर 1 ता 4 रहेगें। राजीनामा दिनांक 14.10.2011 से वादीगण विवादित भूमि के लोकेश प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/9 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है जिससे दिनांक 14.10.2011 के बाद प्रतिवादी नं. 1 का विवादित भूमि से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, ना ही हो सकता है। वादीगण अपने पक्ष में इस आशय की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त राजीनामा ने विवादित भूमि में प्रतिवादी नं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.01 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवा देने का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद भी प्रतिवादी नं. 1 पहले तो हां करता रहा परन्तु अब स्पष्ट रूप से मना कर दिया जबकि प्रतिवादी नं. 1 राजीनामा दिनांक 14.10.2011 से पूर्णतया स्टोप्ड है। इसलिए वादकारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। प्रतिवादी नम्बर 2 ता 7 सहखातेदार होने से इन्हे प्रतिवादी बनाया गया है। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 के नाम वादग्रस्त भूमियों में दर्ज हिस्सा 1/9 की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा उक्त हिस्से से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करवाये जाने बाबत उक्त वादपत्र उद्घोषणा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 4 ता 6 के द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2, 3, 7 व 8 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 के सम्मन पर लापता होने की रिपोर्ट के साथ सम्मन अदम तामील लौटने पर प्रतिवादी नं. 1 की तलबी जरिये दो समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" व "दैनिक उद्योग -- आसपास" में प्रकाशित करवाये जाने के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण साक्ष्य में वादी नं. 4 का एंव वादीगण गवाह में जगदीश प्रसाद सैनी व कालूराम सैनी के दो गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। वकील वादीगण ने मुख्य परीक्षण में पेश शपथ पत्र पर जिरह अंकित करवाई जाकर पेशशुदा दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य बन्द हो जाने पर वकील वादीगण द्वारा बहस सुने जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई । पत्रावली अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2069--2072 के अनुसार वा[illegible] भूमियां वादीगण के पति/पिता प्रतिवादी नं. 1 के नाम हिस्सा 1/[illegible] दर्ज रिकार्ड [illegible]ता है। प्रतिवादी नं. 1 व वादीगण के बीच न्यायालय अपर जिला [illegible] न्यायालय श्रीमाधोपुर में लम्बित वाद मंजू वगै० बनाम लोकेश वगै० प्रार्थना पत्र 125 [illegible] आरपीसी की रिवीजन में दिनांक

26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.01 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

14.10.2011 को लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों के मध्य यह तैय हुआ कि वादीगण के आजीवन निर्वाह भत्तो की एवज में एकमुश्त अदायगी के बदले विवादित भूमि खसरा नम्बर 1047 से 1049 का प्रतिवादी नम्बर 1 लोकेश के नाम का सम्पूर्ण 1/9 हिस्सा के मालिक वादीगण नम्बर 1 ता 4 रहेगें। उक्त दोनों पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय में आपस में हुए राजीनामा दिनांक 14.10.2011 से वादीगण विवादित भूमि में से लोकेश प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/9 हिस्सा का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने बाबत यह वादपत्र पेश किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित किये जाने बाबत अंकित किया गया है। प्रतिवादी नं. 1 की सम्मन तामील जरिये दो समाचार पत्रों में साया हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा हाजिर अदालत उपस्थित होकर वादपत्र का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि प्रतिवादी नं. 1 सिविल न्यायालय में हुए राजीनामा दिनांक 14.10.2011 से पूर्णतया सहमत है। उक्त राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य सिविल न्यायालय के समक्ष होना स्पष्टतः प्रकट होता है। पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/9 की खातेदारी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1047, 1048 व 1049 कुल किता 3 कुल रकबा 3.72 हैक्टर के 1/9 हिस्सा का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है [illegible] से प्रतिवादी नं. 1 का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में [illegible] तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त [illegible] राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.01 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते श्रीमाधोपुर (सीकर)

करने की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

26/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– हासंपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर कैम्पः– हासंपुर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

26/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– हासंपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.01 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested